केवल नकल के प्रयोजार्थ

नकल के लिए प्रार्थना पत्र का दिनांक	नकल तैयार होने की नोटिस बोर्ड पर सूचना का दिनांक	नकल वापस करने का दिनांक	[illegible]
दि. 12/7/23	दि. 13/7/23	13/7/23	पेशकार

CANCELLED FOR COPYING FEES ONLY

CANCELLED FOR COPYING FEES ONLY

CANCELLED FOR COPYING FEES ONLY

CANCELLED FOR COPYING FEES ONLY

कार्यालय सहायक कलेक्टर बागेश्वर
वाद संख्या- 61/2023
वादीगण- मनमोहन सिंह पुत्र आनसिंह, आनसिंह, दीवानसिंह
पुत्रगण रामसिंह निवासी ग्राम घिरौली तहसील
जिला बागेश्वर।
अन्तर्गत धारा 143 ज.वि. अधिनियम
नकल आदेश दिनांक 04/07/2023

न्यायालय/कार्यालय [illegible] बागेश्वर (उत्तराखण्ड)

Manager
Anandi Academy
Ghiroli (Bageshwar)

Principal
Anandi Academy
Ghiroli (Bageshwar)

न्यायालय, सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी) बागेश्वर।

वाद संख्या– 61 | वर्ष–2022–23

वादीगण– श्री मनमोहन सिंह पुत्र आन सिंह, आन सिंह, दीवान सिंह पुत्रगण राम सिंह निवासी ग्राम घिरौली, तहसील व जिला बागेश्वर।

बनाम

प्रतिवादी– ग्राम घिरौली पटवारी क्षेत्र दुगबागेश्वर एवं समस्त सहखातेदार जे0ए0खतौनी खाता संख्या–00002 ग्राम घिरौली क्षेत्र दुगबागेश्वर तहसील व जिला बागेश्वर।

अन्तर्गत धारा 143 ज0 वि0 एवं भूमि–व्यवस्था अधिनियम 1950।

निर्णय

प्रार्थीगण श्री मनमोहन सिंह पुत्र आन सिंह, आन सिंह, दीवान सिंह पुत्रगण राम सिंह निवासी ग्राम घिरौली तहसील बागेश्वर द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया गया है कि प्रार्थीगण के नाम ग्राम घिरौली, तहसील व जिला बागेश्वर के ज0वि0खतौनी खाता संख्या–00002 खसरा संख्या–03 में 0.085 है0 भूमि दर्ज अभिलेख है। उक्त भूमि पर आनन्दी एकेडमी विद्यालय का भवन निर्मित है। प्रार्थीगण विद्यालयी कार्य हेतु उक्त भूमि को अकृषक घोषित कराना चाहते है।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर राजस्व निरीक्षक, दुगबागेश्वर व तहसीलदार, बागेश्वर से जांच आख्या प्राप्त है। राजस्व निरीक्षक व तहसीलदार, बागेश्वर द्वारा अपनी जांच आख्या में उल्लेख किया है कि प्रार्थीगण श्री मनमोहन सिंह पुत्र आन सिंह, आन सिंह, दीवान सिंह पुत्रगण राम सिंह निवासी ग्राम घिरौली तहसील व जिला बागेश्वर के नाम ग्राम घिरौली के ज0वि0ख0खा0संख्या–00002 में खसरा संख्या–1529, 1553, 1554, 1555, 1557, 1558, 1560, 1594, 1595, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1604, 1605, 1607, 1608 व 1610 मध्ये रकवा 0.085 है0 भूमि दर्ज अभिलेख है। उक्त भूमि पर विद्यालय का भवन निर्मित है। जिस कारण दावी भूमि में किसी प्रकार का कृषि कार्य, बागवानी, मत्स्य पालन व कुक्कुट पालन नहीं किया जा रहा है। भूमि की हदबन्दी कार्य में लगे समय के आधार पर चालान/शुल्क जमा है। आवेदित भूमि की चौहदी पूरब दिशा में रास्ता व नाप खेत, पश्चिम दिशा में मोटर मार्ग, उत्तर दिशा में प्रार्थीगणों के स्वयं के नाप खेत तथा दक्षिण दिशा में गधेरा व सरहद जोशीगॉव की है। इस प्रकार राजस्व निरीक्षक, दुगबागेश्वर द्वारा प्रार्थीगण के नाम ग्राम घिरौली के ज0वि0ख0खा0 संख्या–00002 में दर्ज उपर्युक्त पैमाइसी खेत रकवा 0.085 है0 भूमि को अकृषक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

राजस्व निरीक्षक, बागेश्वर व तहसीलदार, बागेश्वर की जांच आख्या संस्तुति सहित प्राप्त होने के उपरान्त वाद दर्ज रजिस्ट्रर कर नियम–135 के तहत खतौनी में दर्ज सहखातेदारों एवं वादीगण को वाद में साक्ष्य/आपत्ति हेतु समन जारी कर सूचित किया गया। नियत तिथि को समन तामीली उपरान्त वापस प्राप्त हैं। वादीगण नियत तिथि को न्यायालय उपस्थित नहीं। प्रतिवादी/सहखातेदार की ओर से भी आपत्ति हेतु कोई उपस्थित नहीं।

तहसीलदार, बागेश्वर व राजस्व निरीक्षक, बागेश्वर द्वारा प्रेषित जांच आख्या एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों के अवलोकन उपरान्त उचित प्रतीत होता है, कि ग्राम घिरौली पटवारी क्षेत्र दुगबागेश्वर के ज0वि0ख0खा0 संख्या–00002 में दर्ज पैमाइशी खेत संख्या–1529, 1553, 1554, 1555, 1557, 1558, 1560, 1594, 1595, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1604, 1605, 1607, 1608 व 1610 मध्ये रकवा 0.085 है0 भूमि वर्तमान में कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि के प्रयोग में नहीं लायी जा रही है। जिस कारण वादीगण द्वारा आवेदित 0.085 है0 तथा राजस्व निरीक्षक व तहसीलदार की जांच आख्या में प्रस्तावित 0.085 है0 भूमि अकृषक प्रख्यापित किये जाने में कोई विधिक कठिनाई नहीं है। तदनुसार निम्न आदेश पारित किये जाते हैं:–

आदेश

ग्राम घिरौली, पटवारी क्षेत्र दुगबागेश्वर तहसील बागेश्वर के ज0वि0ख0खा0संख्या–00002 में दर्ज खेत 1529 रकवा 0.025 है0 मध्ये 0.005 है0, 1553 रकवा 0.014 है0 मध्ये 0.004 है0, 1554 रकवा 0.003 है0, 1555 रकवा 0.001 है0, 1557 रकवा 0.006 है0, 1558 रकवा 0.008 है0 मध्ये 0.004 है0, 1560 रकवा 0.019 है0 मध्ये 0.005, 1594 रकवा 0.004 है0, 1595 रकवा 0.006 है0, 1597 रकवा 0.004 है0, 1598 रकवा 0.013 है0, 1599 रकवा 0.001 है0, 1600 रकवा 0.001 है0, 1601 रकवा 0.008 है0, 1604 रकवा 0.003 है0, 1605 रकवा 0.004 है0, 1607 रकवा 0.003 है0, 1608 रकवा 0.005 है0 व 1610 रकवा 0.005 है0 मध्ये रकवा 0.085 है0 भूमि वर्तमान में कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि के प्रयोजन में न आने के कारण अकृषक घोषित की जाती है। खाते से लगान 70 पैसा कम हो। इस आदेश की एक प्रति तहसीलदार, बागेश्वर को नियमानुसार भू–अभिलेखों में संशोधन हेतु व एक प्रति धारा–145 के तहत उपनिबन्धक बागेश्वर को निःशुल्क पंजीयन हेतु प्रेषित की जाय। बाद कार्यवाही पत्रावली अभिलेखागार संचित हो।

दिनांक–04 जुलाई, 2023। छायाप्रति प्रमाणित

(हर गिरी),
सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी)/परगनाधिकारी,बागेश्वर

पेशकार

Manager
Anandi Academy
Ghiroli (Bageshwar)

Principal
Anandi Academy
Ghiroli (Bageshwar)